	10/8/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि वादी फोत हो चुका है। तथा इनके वारिसान पहले से ही प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बने हुए हैं। जिससे कोई पक्षकार बनाना शेष नहीं है। तथा प्रार्थना पत्र O 22 R 3 पेश करने में असमर्थता प्रकट की। अतः वादी का वाद अबेट होने से वादी का वाद (अबेटेड) निरस्त किया जाता है। पत्रावली [illegible] के बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

सह... [illegible]
जय... [illegible] हर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 16:35:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner